न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 46/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. चन्दनपुरी पुत्र मंशापुरीजी 2. गोविन्दपुरी पुत्र चन्दनपुरीजी जातिगण गोस्वामी निवासगण केरला तहसील व जिला पाली(राज.)		1 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–5.10.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 8/02 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा एक वाद धारा 88, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरला पटवार क्षेत्र रूपावास स्थित खसरा नम्बर 20 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा में से वाद पत्र संख्या 2 में वर्णित पडोस बीच की 7 बीघा भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा–काश्त बतौर खातेदार संवत 2012 के पूर्व से चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि अपीलांट संख्या 1 के पिता व अपीलांट संख्या 2 के दादा बहैसियत खातेदार काबिज थे, एवं उनकी मृत्यु के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पश्चात वादीगण लगातार शांतिपूर्वक बेरोकटोक काबिज है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से जो जवाबदावा पेश किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 29.03.2005 को तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य में अपीलार्थी की ओर से अपीलांट स्वंय के बयान, साथ ही गवाह तुलसाराम, चन्दाराम, भुराराम, भानाराम, पूनाराम वगैरह के बयान करवाये गये। उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 29.04.08 से रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य में लम्बित थी। प्रकरण में पेशी दिनांक 15.07.2015 को नियत की गई, लेकिन बिना किसी आधार के ही कैम्प कोर्ट में बिना विधिवत नोटिस दिये दिनांक 15.06.2015 को पेशी नियत कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करते अपीलांट का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर सवंत 2012 से पूर्व से ही लगातार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावा विधिवत सत्यापित नहीं था, एवं न ही जवाबदावा के समर्थन में शपथ–पत्र था। ऐसी स्थिति में जवाबदावा न तो रेकर्ड पर लिये जाने योग्य न था एवं न ही पढे जाने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में जो तनकीयात कायम की है, उनका विधि अनुसार विनिश्चिय नहीं किया गया, जबकि अपीलाण्ट्स द्वारा उन तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने हेतु पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये थे। जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का सेटल पज़ेशन है तथा राजकीय भूमि पर 30 वर्ष पुराना कब्जा होने की स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करावें तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलाण्ट के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि

अपीलांटगण द्वारा ग्राम केरला पटवार क्षेत्र रूपावास स्थित खसरा नम्बर 20 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट स्वंय के बयान, साथ ही गवाह तुलसाराम, चन्दाराम, भुराराम, भानाराम, पूनाराम वगैरह के बयान करवाये गये। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर तीन तनकीयात कायम की गई, जो इस प्रकार है – (1) आया ग्राम केरला क हाल खसरा नम्बर 20 रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा भूमि में से 07 बीघा भूमि वाद–पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित पडोस की भूमि पर श्री अंशापुरी का कब्जा काश्त बहैसीयत खातेदार था तथा वादीगण एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार के संवत 2012 के पूर्व से चला आ रहा है ? जिम्मे वादीगण। (2) आया वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण। (3) आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण। उपरोक्त तनकीयात को अपने पक्ष में सिद्ध करवाने हेतु अपीलांट स्वंय के बयान, साथ ही गवाह तुलसाराम, चन्दाराम, भुराराम, भानाराम, पूनाराम वगैरह के बयान कलमबद्ध करवाये एवं इसके अतिरिक्त वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1, 2 व 3 का जो विनिश्चय किया गया है, वह विधिनुसार है, अब जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 8/02 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.10.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली